भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.56

03 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लोक निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता

56 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों सहित लोक निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज की तिथि तक क्या उपाय लागू किए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लोक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई विधान न लाए जाने के क्या कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को लोक निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधान लाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो किससे, और इस संबंध में आज की तिथि तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): लोक निर्माण की गुणवत्ता सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और सीपीडब्ल्यूडी की मानक संचालन प्रक्रियाओं के प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित और निर्देशित की जाती है।

(ग): जी हां, माननीय सांसद (राज्यसभा) डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वर्तमान में, ऐसा कोई कानून विचाराधीन नहीं है।

******